

**राजस्थान सरकार,**  
**क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, फतह मेमोरियल सराय, सूरजपोल, उदयपुर**  
फोन-0294.2411535, Email:-trcudipur-dot@rajasthan.gov.in,regionaltourismoffice@gmail.com

क्रमांक :- एफ ( )निविदा / टैफ-क्षैपका,उदय / 2023-24 / 254

दिनांक 16/2/23

**ई-निविदा ( बी.ओ.क्यू ) वित्तीय बोली**

1. निविदादाता / फर्म का नाम व पता .....
2. फोन नं.....
3. ई-मेल आईडी.....
4. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन (प्रति संलग्न करें).....
5. पैन संख्या (पैन कार्ड की प्रति संलग्न करें).....
6. सर्विस प्रोवाइडर के रूप में रजिस्ट्रेशन नं. अंकित करें (प्रति संलग्न करें ).....
7. पी.एफ. रजिस्ट्रेशन संख्या अंकित करें। ( प्रति संलग्न करें).....
8. कर्मचारी राज्य बीका अधिनियम 1948 में रजिस्ट्रेशन .....

(प्रत्येक माह में 26 दिन के लिए)

क्र. सं.	आवश्यक मानव संसाधन की संख्या	श्रम विभाग द्वारा नियत मासिक दर	निविदा दाता की प्रति कार्मिक मासिक दर	ई.पी. एफ	ई.एस. आई.	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज (प्रति कार्मिक मासिक दर)	योग Coulmn (4+7) प्रति कार्मिक मासिक दर) (Excluding EPF & ESI)	जी. एस.टी.	कुल योग Coulmn (8+9 )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, उदयपुर हेतु</b>									
1	(सुरक्षा गार्ड) उदयपुर-5 कुल 5	5 x 283x 26 = Rs. 36,790/-		13%	3.25%			18%	
<b>पर्यटक स्वागत केन्द्र, माउण्ट आबू हेतु</b>									
	(सुरक्षा गार्ड) माउण्ट आबू - 14 कुल- 14	14 x 283x 26 = Rs. 1,03,012/-		13%	3.25%			18%	

दर प्रस्ताव उपरोक्त तालिका के कॉलम 10 के अनुसार (अंकों में) ..... (शब्दों में) .....

नोट :- उक्त तालिका के कॉलम संख्या 4 से 10 की पूर्ति बोलीदाता द्वारा की जावेगी।

प्रदाता के हस्ताक्षर.....  
सेवा प्रदाता फर्म का नाम पता, मोबाईल नं. ....

12/201

राजस्थान सरकार,  
क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, उदयपुर  
फतह मेमोरियल सराय, सूरजपोल, उदयपुर

फ़ोन-0294.2411535, Email:-trcudaiapur-dot@rajasthan.gov.in,regionaltourismoffice@gmail.com

( निविदा क्रमांक.....)

ऑन लाईन ई- निविदा - पर्यटक सहायता बल के लिये संविदा पर एक्स सर्विसमेन/सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

पर्यटन विभाग द्वारा अर्दता फर्मों से पर्यटक सहायता बल के लिए संविदा पर एक्स सर्विसमेन/सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के लिए निम्नानुसार बोली निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्रमांक	कार्य का नाम	अनुमानित कार्य की लागत	बिड सिक्युरिटी राशि	निविदा जारी करने की दिनांक	निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक	निविदा खोले जाने की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	पर्यटक सहायता बल के लिये संविदा पर सुरक्षा गार्ड	17.00 लाख	34,000	16.02.2023	27.02.2023 प्रातः 11.00	27.02.2023 दोपहर 03.00

यह निविदा प्रपत्र <http://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://spp.rajasthan.in> तथा [www.tourism.rajasthan.gov.in](http://www.tourism.rajasthan.gov.in) से भी डाउन लोड की जा सकती है तथा दिनांक 27.02.2023 एवं समय प्रातः 11.00 पूर्व ऑन लाइन प्रस्तुत की जानी है। आवेदक को बिड डाक्यूमेन्ट शुल्क राशि रूपये 500/- उपनिदेशक, क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, उदयपुर राशि रूपये 1000/- MD, RISL, jaipur एवं बिड सिक्युरिटी राशि रूपये 34,000/- के डीडी इस कार्यालय का दिनांक 27.02.2023 समय 10 a.m.. से पूर्व विभाग में बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करने होंगे।

12/02/2023

राजस्थान सरकार,  
क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, फतह मेमोरियल सराय, सूरजपोल, उदयपुर  
फोन-0294.2411535, Email:-trcudaiapur-dot@rajasthan.gov.in,regionaltourismoffice@gmail.com

ऑन लाईन खुली निविदा (क्रमांक ..... ) क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, उदयपुर  
द्वारा ..... आमंत्रित की जाती है। कार्य की अवधि कार्यादेश जारी होने  
की दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी। बिड निमित प्रक्रिया विवरण :-

क्रमांक	उदन विवरण	शिड्यूल रेट(रु.)
1	बोली निविदा जारी करने की दिनांक	16.02.2023
2	निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक एवं समय	27.02.2023 प्रातः 11.00
3	निविदा खोलने की दिनांक एवं समय	27.02.2023 दोपहर 03.00
4	बिड डाक्युमेन्ट शुल्क	500 / -
5	बिड प्रोसेसिंग शुल्क	500 / -
6	बिड सुरक्षा राशि	34000 / -

12/2/23

## निविदा की विशेष शर्तें एवं निर्बंधन :-

कृपया निविदा में उल्लेखित शर्तों को पढ़कर दरें देवें, जिसमें बाद में किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

1. श्रमिक संगठन आपूर्ती वाली फर्म कुल वांछित कार्मिकों से तीन गुणा कार्मिकों की सूचि विभाग को निविदा के साथ उपलब्ध करवायेगी। जिससे विभाग निर्धारित सुरक्षा गार्ड के मापदण्ड के अनुसार चयन कर सकेगा।
2. तीन वर्ष (2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-2022) वार्षिक टर्न ओवर औसत पांच लाख रूपये होगा तथा निविदा के साथ सी.ए. का प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. आयकर/जी.एस.टी. का पंजियन दस्तावेज साथ में संलग्न करना होगा।
4. पर्यटकों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा गार्ड को निर्धारित समय के अतिरिक्त ली गई सेवा के लिए श्रमिक विभाग के नियमानुसार पारिश्रमिक देय होगा।
5. राज्य के किसी भी पर्यटन थाने में दक्ष कार्मिकों (सुरक्षा गार्ड) की आवश्यकता होने पर श्रमिक संगठन अनुबंधानुसार आपूर्ती निश्चित करेगा।
6. श्रमिक संगठन विभागीय स्तर कार्य उपस्थिति प्रमाणीकरण उपरान्त प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में बिल प्रस्तुत करेंगे। अतिरिक्त कार्य/सेवा का प्रमाणीकरण उप निदेशक (टैफ) पर्यटन विभाग के स्तर पर किए जाने पर ही मान्य होगा।
7. I.S.O. प्रमाणित श्रमिक संस्था की ही निविदा मान्य होगी।
8. न्यूनतम 20 मानक श्रमिक वाली संस्था की ही निविदा मान्य होगी।

12/21

## निविदा की सामान्य शर्तें एवं निर्बंध :-

1. निविदा के साथ 02 प्रतिशत अमानत राशि के रूप में रुपये 34000/- उपनिदेशक क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, उदयपुर के नाम बैंकर्स चैक/पेआर्डर के द्वारा संलग्न किया जाना अनिवार्य है। अमानत राशि के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 2- बोली आमंत्रण सूचना, विस्तृत सूचना मय बोलीदस्तावेज विभागीय वेबसाइट [www.tourism.rajasthan.gov.in](http://www.tourism.rajasthan.gov.in), SPP Portal एवं eproc.Portal पर देखी जा सकती हैं।
- 3- बोली प्रपत्र शुल्क (अप्रतिदेय) पाँच सौ रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट उपनिदेशक क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, उदयपुर के पक्ष में बनाना होगा एवं निविदा प्रसंस्करण शुल्क के लिये राशि रुपये एक हजार का डीडी एम.डी. (आर.आई.एस.एल.) के नाम देना होगा एवं अपलोड भी करवाना होगा।
- 4- बोली प्रतिभूति राशि एवं बोली प्रपत्र शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट बंद लिफाफे उपनिदेशक क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, उदयपुर पर्यटन भवन, संजय मार्ग (विधायकपुरी थाने के सामने) जयपुर को भौतिक रूप से दिनांक 27.02.2023 को 10.00 ए.एम. बजे तक जमा कराना आवश्यक है।
5. बोलीदाता द्वारा सभी दरें यथा कर, उपकर, सर्विस चार्ज, आदि पृथक पृथक रूप से अंकित किए जावें।
6. निविदाकार को श्रम विभाग में पंजियन/लाईसेंस के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
7. बोली की दरें शब्दों व अंकों में स्पष्ट अंकित करें। काँट -छाँट नहीं करें तथापि कटिंग होने पर पूर्ण हस्ताक्षर कर उसे प्रमाणित करें। अंकों एवं शब्दों में अन्तर होने पर निविदा स्वीकार योग्य नहीं मानी जावेगी।
8. निविदा प्रपत्र दिनांक 16.02.2023 से वेबसाइट पे अपलोड किया जा सकेगा।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में अन्तिम निर्णय उपनिदेशक क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, उदयपुर का होगा। न्याय क्षेत्र उदयपुर होगा।
10. सामान्य ड्यूटी समय प्रातः 9.30 बजे से सांय 6.00 बजे तक रहेगा। निविदा पर उपलब्ध कराये गये कर्मियों को प्रत्येक सप्ताह में एक अवकाश देय होगा।
11. अनुबन्ध की अवधि 1 वर्ष के लिये होगी। संतोष जनक सेवा पर आपसी सहमति से 6 माह बढ़ाई जा सकेगी।
12. निविदा के किसी भी भाग को अथवा पूर्ण निविदा को निरस्त किये जाने का अधिकार उपनिदेशक क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, उदयपुर को होगा।
13. इस निविदा में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधान लागू होंगे।
14. सफल निविदाकार को अनुमोदित राशि की 3 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में उपनिदेशक क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, उदयपुर के नाम बैंकर्स चैक/ डीडी से जमा करानी होगी। जिसमें पूर्व में जमा दो प्रतिशत राशि समायोजित की जा सकेगी।
15. सफल निविदाकार को कार्यादेश जारी होने की तिथि से दस दिवस के भीतर पाँच सौ रूपयों के नॉन न्युडिशल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
16. किसी भी राजकीय विभाग/उपक्रम अथवा अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा काली सूची में डाले गए/दण्डित की गयी फर्म / एजेन्सी निविदा में भाग नहीं ले सकेगी।

12/2/23

17. सफल निविदाकार को प्रत्येक माह भुगतान हेतु बिल दो प्रति में प्रस्तुत करना होगा। भुगतान अनुभाग अधिकारी के प्रमाणन के पश्चात किया जावेगा। बिल में से नियम आयकर एवं G.S.T. की कटौती के पश्चात भुगतान किया जावेगा।
18. निविदा प्रस्ताव की वैधता अवधि निविदा खोलने की तिथी से 30 दिन होगी।
19. ऐजेन्सी को उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों को अनुमोदित दरों के आधार पर मासिक भुगतान हेतु बिल अगले माह प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करना होगा।
20. अनुबन्ध के बीच में छोड़ने पर उपनिदेशक क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, उदयपुर द्वारा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी एवं अनुबंध की शेष अवधि में होने वाले अधिक व्यय, नुकसान, हानि, की वसुली अनुबंधकर्ता से की जावेगी।
21. अनुबंध की अवधि के दौरान उपलब्ध कराये गये कार्मिकों की दुर्घटना से मृत्यु अथवा अन्य घटना घटित होने पर उससे उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी। ऐसी स्थिति में प उपनिदेशक क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, उदयपुर विभाग की किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जावेगा।
22. अनुबंध की अवधि पूर्ण होने के तीन माह पश्चात जमा सुरक्षा राशि का भुगतान कोई बकाया राशि नहीं होने की स्थिति में लोटाई जा सकेगी।
23. निविदादाता द्वारा विगत तीन वर्ष का कार्यनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
24. कार्मिक के ई.एस.आई./ई.पी.एफ. जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रत्येक माह के अन्त तक प्रस्तुत करना होगा।
25. निविदाकार का मैनपावर उपलब्ध कराने का गत तीन वर्ष का वार्षिक औसत टर्नओवर न्यूनतम **रूपये 5 लाख** होना चाहिये जिसके लिये चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण पत्र या आयकर विवरणी की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करनी होगी।
26. यदि निविदाकार द्वारा सुरक्षागार्डों को नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम राशि का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस सम्बन्ध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी तथा नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में निविदाकार को डी- बार कराने की कार्यवाही होगी।
27. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक(नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधी अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जावेगी।
28. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खाते में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाता में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा। श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदन को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जावेगा।
29. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
30. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि में कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के

12/21

साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

31. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
32. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा कराने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जावेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जावेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का दायित्व संवेदक का होगा।
33. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 के विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छटनी, मुआवजा, आदि देने का समस्त उत्तर दायित्व संवेदक का होगा।
34. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. कराने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की जिम्मेदारी नहीं होगी।
35. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिये किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की समक्ष स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के उपर 10 प्रतिशत पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले सम्बन्धित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
36. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावेगी।

12/01

निविदा दाता के हस्ताक्षर.....

मोबाईल नं./ई-मेल .....

राजस्थान सरकार,  
क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, फतह मेमोरियल सराय, सूरजपोल, उदयपुर  
फोन-0294.2411535, Email:-trcudipur-dot@rajasthan.gov.in,regionaltourismoffice@gmail.com

क्रमांक :- एफ ( )निविदा / टैफ-क्षैपका, उदय / 2023-24 / 254

दिनांक 16/2/23

N.I.B / 2023-24

UBN No.

क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, उदयपुर, रजिस्टर्ड फर्म / सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से सुरक्षा गार्ड लेने हेतु ई-बोली आमंत्रित करता है। सुरक्षा गार्डस का पारिश्रमिक श्रम विभाग, राजस्थान द्वारा जारी दरों के अनुसार देय होगा। विस्तृत विवरण वेबसाइट [sppp. rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) / [www.tourism.rajasthan.gov.in](http://www.tourism.rajasthan.gov.in), [eproc.rajasthan.gov.in](http://eproc.rajasthan.gov.in) पर देखा जा सकता है।

12/2/23  
उपनिदेशक

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने आपके विभाग में सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया है। हमारे द्वारा जो भी सूचना उपलब्ध कराई गई है, उसमें किसी भी तरह की सूचना यदि असत्य पाई जाती है, तो इसके लिए मैं/हम स्वयं जिम्मेदार हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, बिना मेरी/हमारी प्रतिभूर्ति को पूर्ण रूप से समपहृत कर किया जा सकेगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

12/21

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
मय मोहर